भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 31
सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निधियां

31. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:
श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए बजटीय आवंटन और जारी किये गए धन का विवरण क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में 2016 से अब तक हुई वित्तीय प्रगति का विवरण क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और प्राप्त किये गये भौतिक लक्ष्यों का विवरण क्या है; और
(घ) लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण क्या हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वाले प्रतिष्ठान द्वारा जमा की गई इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) के आधार पर धन का वितरण किया जाता है और चालान बनने के समय प्रतिष्ठान द्वारा देय कुल राशि में कटौती के माध्यम से सब्सिडी परिलक्षित होती है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसलिए, राज्य-वार अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। पूरे भारत में पीएमआरपीवाई योजना के तहत जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि और योजना के आरंभ से लेकर योजना की समाप्ति तिथि (31.03.2022) तक आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में वितरित सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है: -

वित्तीय वर्ष	अखिल भारत		आंध्र प्रदेश
	आवंटित/जारी धनराशि (करोड़ रुपये में)	वितरित सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	वितरित सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
2016-17	167.69	2.70	0.05
2017-18	470.25	551.28	10.89
2018-19	3493.88	4044.10	90.47
2019-20	3400	3184.11	85.33
2020-21	1255.15	1197.83	32.26
2021-22	250	296.35	9.10

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

इस योजना से 20 लाख लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। इस योजना के तहत अखिल भारत और आंध्र प्रदेश में लाभान्वित प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है:

	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	**लाभार्थियों की संख्या**
अखिल भारत	152900	12169960
आंध्र प्रदेश	3397	254891

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

*****